an>

Title: Need to extend the time limit of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY).

श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने देश के अन्न दाता किसानों की समस्या को सदन में रखने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

हमारा देश भारतवर्ष गांवों का देश है, किसानों का देश है। हमारी 80 पर्सेंट आबादी कृÂिष पर निर्भर करती है। हमारी भारत सरकार एवं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब तक हमारे किसान खुशहाल नहीं होगें और हमारे गांव समृद्ध नहीं होंगे, तब तक हम देश को समृद्धशाली नहीं बना सकते हैं।

इसी कड़ी में, केन्द्र की सरकार द्वारा किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, गांवों को समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएँ लागू की गयी हैं। इसी कड़ी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी, क्रांतिकारी योजना- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इसी खरीफ की फसल से लागू हो रही है। इसलिए मैं खरीफ की फसल में आने वाली दिक्कतों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जैसा कि इस योजना की गाइडलाइंस में है कि इस योजना से संबंधित एजेंसी नामित करने का काम प्रदेश सरकार को करना था। उत्तर प्रदेश में एजेंसी नामित करने में काफी विलम्ब हुआ। उत्तर प्रदेश में दो एजेंसियों को फसल बीमा योजना से संबंधित इंश्योरेंस का काम मिला है। छः जिलों में इंश्योरेंस का काम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को मिला है। शेष 69 जिलों में फसल बीमा का काम इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को मिला है। लेकिन इसका व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया है। 30 जून को एजेंसी नामित हुई, उसका व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया, किसानों को उनके बारे में जानकारी नहीं हो पायी। इसके बाद बाढ़ की विभीषिका आ गयी। ऐसे में किसानों की तरफ से मांग आ रही थी कि इसकी अंतिम तारीख को बढ़ाया जाए। अंतिम तिथि, जो 31 जुलाई थी, उसे मात्र दो दिन के लिए 2 अगस्त तक बढ़ाया गया।

इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और माननीय कृषि मंत्री जी से मांग करता हूँ कि फसल बीमा की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त किया जाए ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने की, उसका पूरा लाभ देश के किसानों को मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : सर्वश्री

सी.पी. जोशी,

सुधीर गुप्ता,

रोड़मल नागर,

भैरो प्रसाद मिश्र,

शरद त्रिपाठी,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

मुकेश राजपूत,

गजेन्द्र सिंह शेखावत,

रामचरण बोहरा,

सुभाÂष चन्द्र बहेरिया,

राहुल कास्वां और

सतीश कुमार गौतम को श्री दहन मिश्रा द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।